न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 02/2023
(GCMS 2023/2)(21208940891096l)

श्री हाकम सिंह पुत्र श्री सुरैण सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 12 [illegible], तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर(मोबाईल नम्बर 86199–14741)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.04.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री हाकम सिंह स्वंय उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.11.2022 से सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाने के कारण, उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी हाकम सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.11.2022 के द्वारा अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी :

> मुझ प्रार्थी ने दिनांक 10.10.2022 को एक शिकायत भेजी थी, कि तहसील श्रीविजयनगर की उप तहसील जैतसर में एम/एस राज ईंट उद्योग, 7 जी.बी. 10 जी.बी. मे बिश्नोई ईंट उद्योग, पूनिया ईंट उद्योग, शर्मा ईंट उद्योग, अन्नपूर्णा ईंट उद्योग, व 3 से 4 भट्टें जिनकी चिमनियों के नाम मिटे हुये है व एम/एस सतनाम ईंट उद्योग, 7 जी. बी. इन सभी ईंट भट्टो की आबादी भूमियों से मात्र दूरियां 16½ फुट से लेकर 0.2 कि.मी., [illegible] आबादी, बागवानी, वाटर बाक्स से ही है, यहां तक कि [illegible] के एक ही मुरब्बा

Lok
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:16:29 IST
Reason: SelfAttested

में 10 से 12 ईंट भट्टे लगे हुये है, इन ईंट भट्टो की आबादी 5 जी.बी. (बी) से मात्र दूरी 0.3 कि.मी. से 0.4 कि.मी. की दूरी है। 10 से 12 ईंट भट्टों की आपस में दूरी मात्र 200 फुट की है, केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये नियमो में अबादियो, बागवानी, वाटर वर्क्सों को प्रदूषण से बचाने हेतु नये नियम 0.8 कि.मी. डिस्टैन्स व प्रत्येक ईंट उद्योग की ईंट उद्योग से दूरी 1 कि.मी. तय की गई है। तहसील श्रीविजयनगर के अन्दर ही ईंट उद्योग स्थापित है, की शिकायत वास्ते जांच भेजी गई थी कृपया सूचना अधिकार के अन्तर्गत सूचना भिजवाने की कृपा करें, कि कितने भट्टों पर नये नियमों की पालना में ईंट उद्योगों की दूरियां करवाई जाने बाबत हल्का एसडीएम को आदेश किय गये है।

प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ 41(5)( )सू.का.अधि. / राजस्व / 2023 / 1346 दिनांक 16.03.2023 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्री हाकम सिंह द्वारा दिनांक 10.10.2022 को प्रेषित शिकायत के संबंध में की गयी कार्यवाही बाबत सूचना के अधिकार के तहत सूचना चाहने के लिए दिनांक 25.11.2022 का एक आदेवन पत्र दिनांक 28.11.2022 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था।

प्रार्थी श्री हाकम सिंह के द्वारा दिनांक 10.10.2022 को प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर को इस कार्यालय के पत्रांक एफ 12[illegible]जस्व / 2022 / 5188 दिनांक 18.10.2022 से [illegible] सरकार द्वारा बनाये गये नियमों की पालना सुनिश्चित [illegible]वानें हेतु भिजवा दिया गया था। जिसकी सूचना प्रार्थी को इस कार्यालय के समसंख्यक

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:16:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

पत्रांक 7805 दिनांक 23.12.2022 द्वारा दी जा चुकी है। चूंकि प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत चाही गई सूचना निर्धारित अवधि में भिजवाई जा चुकी है। अतः कृपया प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

-sd-
प्रभारी अधिकारी
राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने उक्तानुसार अपील का जवाब प्रेषित किया है, जो सही है, **जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। फिर भी यदि अपीलर्थी उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं से संतुष्ट नहीं है तो अपीलार्थी उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर के प्रथम अपीलीय अधिकारी श्रीमान् जिला कलक्टर, अनूपगढ़ के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। **इसलिए अपीलार्थी की अपील उक्तानुसार निरतारित करने योग्य है।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:16:29 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर